आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला.............मधुबनी........................संख्या-- 09 सन् 2017–18

केश का प्रकार:– एन0एच0 104 में मुआवजा भुगतान हेतु।

अर्जीकार–गुलाब चन्द्र झा

प्रतिपक्षी:– सरकार (सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदा0) एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई ,दरभंगा

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई
12-2018	प्रस्तुत वाद आवेदक गुलाब चन्द्र झा पिता स्व0लक्ष्मण झा ग्राम–अररिया संग्राम थाना–झंझारपुर, जिला–मधुबनी के आवेदन पर प्रारम्भ किया । इनके आवेदन का मुख्य अंश है कि आवेदक के पिता लक्ष्मण झा द्वारा दायर अपील वाद संख्या–75/2010–11 में पारित आदेश में अर्जित भूमि का खेसरा संख्या–2158 के स्थान पर गलती से खेसरा संख्या–2558 हो गया जिसे सुधार किया जाय। आवेदक के आवेदन पर वाद की प्रकिया प्रारम्भ करते हुये सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को आवेदन की प्रति भेजते हुये पक्ष रखने का निदेश दिया गया जो उनके पत्रांक–846/जि0भू0अ0 दिनांक–30.06.2018 से प्राप्त हुआ। इनका प्रतिवेदन है कि:– एन0एच057 में 3 डी गजट 2006 के अनुसार, अंचल–झंझारपुर मौजा–अररिया संग्राम खाता..... खेसारा–2156 रकवा–0.1423 हेक्टेयर, किस्म–कृषि खेसरा–2157 रकवा–0.1074 हेक्टेयर, किस्म–कृषि एवं खेसरा–2158 रकवा–0.1304 हेक्टेयर, किस्म–कृषि का अर्जन किया गया है। उक्त अर्जित रकवा का किस्म का स्थल जॉच कर अधियाची विभाग परियोजना निदेशक, एन0एच057 एन0एच0ए0आई0दरभंगा द्वारा प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्राप्त प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जॉच की गयी तत्पश्चात् अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण कर खेसरा पंजी तैयार किया गया है जिसका पुनः निरीक्षक कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं उसमे प्राप्त आपत्तियों का भी विधिवत् सुनवाई कर किस्म निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारी प्रकिया अपनाकर ही उस समय भूमि का जो स्वरूप था, उसी के अनुरूप ही किस्म का निर्धारण किया गया है। आवेदक का आवेदन है कि अपील वाद संख्या–75/2010–11 में पारित आदेश में अर्जित भूमि का खेसरा–2158 के स्थान पर टंकण भूल के कारण खेसरा संख्या–2558 हो गया है जिसे सुधार किया जाय। किस्म परिवर्तन हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मध्यस्थ न्यायालय द्वारा अपील वाद संख्या–75/2010–11 में पारित आदेश मात्र टंकण भूल अर्जित ,खेसरा संख्या–2558 को अर्जित **खेसरा–2158 यथा संशोधित माना जायेगा।** **लेखापित** 12/7/18 मध्यस्थ पदाधिकारी–सह– मध्यस्थ पदाधिकारी–सह– अपर समाहर्ता, मधुबन	